पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 जनवरी, 2017 ई0 (पौष 24, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–02

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	53–64	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	05–16	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	01–06	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग

अधिसूचना

20 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1499/XLIII(1)/14–20(02)/1014–उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 एवं उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 13(1) एवं धारा 15 के प्राविधानान्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय, श्री दर्वान सिंह गर्ब्याल को "उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग" में आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15(3) के अधीन श्री दर्वान सिंह गर्ब्याल के शपथ ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 15(1) के अनुरूप श्री दर्वान सिंह गर्ब्याल के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

4. आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा 15(5) के अनुरूप होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

21 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 2748/X–1–2016–04(26)/2008–उत्तराखण्ड वन विभाग के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम–4(2) के द्वितीय परंतुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय वन सेवा संवर्ग में अस्थायी वृद्धि करते हुए, प्रमुख वन संरक्षक, वेतनमान ₹ 75,500–80,000, ग्रेड वेतन शून्य के 04 पद, 02 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से सृजित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. सृजित अस्थायी पदों के कर्तव्य एवं दायित्व संवर्गीय पदों के समान होंगे तथा उक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नत होने वाले अधिकारियों की पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने की दशा में उक्त पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2

विज्ञप्ति/पदोन्नति

19 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1465/XXIV–2/2016–12(07)/2009–विद्यालयी शिक्षा विभाग में उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा के अन्तर्गत सेवारत निम्नलिखित उप निदेशक (वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600), को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में संयुक्त निदेशक (वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,700) के पद पर पदोन्नत किया जाता है:–

1. श्री अम्बादत्त बलोदी,
2. श्री रमेश चन्द्र आर्य,
3. श्री सुधीर सिंह असवाल।

2. उपरोक्त पदोन्नति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन है:–

(1) उक्त सेवा संवर्ग में वरिष्ठता आदि के सम्बन्ध में यदि मा0 न्यायालय में कोई रिट याचिका विचाराधीन हो तो, उक्त पदोन्नति उस रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

(2) उपरोक्त अधिकारियों के पूर्व से ही उच्च पद पर तैनात होने के कारण, उक्त अधिकारी अपनी वर्तमान तैनाती स्थल पर पदोन्नत पद के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(3) पदोन्नत पद का वेतन/भत्ते आदि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होंगे।

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–4

अधिसूचना

प्रकीर्ण

22 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 72 उ0मा0आ0/बीस–4/2016–4(9)/2014–श्री राज्यपाल महोदय, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्तों एवं सेवा शर्तों हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग, अध्यक्ष तथा सदस्य (वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें) नियमावली, 2016

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग, अध्यक्ष तथा सदस्य (वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें) नियमावली, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :

(1) इस नियमावली में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 अभिप्रेत है;

(ख) "राज्यपाल" से, उत्तराखण्ड राज्य के श्री राज्यपाल महोदय, अभिप्रेत हैं;

(ग) "राज्य सरकार" से, उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "राज्य आयोग" से, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड राज्य मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) "अध्यक्ष" एवं "सदस्य" से क्रमशः आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अभिप्रेत हैं;

(च) "अवकाश" में उपार्जित अवकाश भी सम्मिलित है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः इस अधिनियम में दिये गये हैं।

3. वेतन एवं भत्ते :

(1) अध्यक्ष, ऐसे वेतन तथा भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा जैसा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अनुमन्य हैं:

परन्तु यह कि यदि अध्यक्ष के पद पर तैनात व्यक्ति उच्चतम् न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहा हो, तो उसके वेतन/भत्तों का भुगतान उसके द्वारा उच्चतम् न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अन्तिम रूप से आहरित वेतन/भत्तों के समान होंगे।

(2) आयोग का सदस्य ऐसे वेतन तथा भत्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुमन्य है:

परन्तु यह कि यदि उच्च न्यायालय में कार्यरत किसी न्यायाधीश को आयोग के सदस्य के रूप नियुक्त किया जाता है तो उसे उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के न्यायाधीश के समतुल्य वेतन/भत्ते प्रदान किये जायेंगे। तदोपरान्त नियमावली लागू होगी;

परन्तु यह और कि यदि अध्यक्ष या सदस्य, उनकी नियुक्ति के समय किसी संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन की गयी किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में पेंशन लेने के लिए पात्र था अथवा पेंशन ग्रहण कर रहा था तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष या सदस्य जैसी भी स्थिति हो, की सेवा के रूप में प्राप्त वेतन में से निम्न धनराशि घटा दी जायेगी।

(एक) उस पेंशन की धनराशि के समान धनराशि,

(दो) यदि वह पद ग्रहण करने से पूर्व संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन की गयी सेवा के सम्बन्ध में उसको देय पेंशन के भाग के बदले में प्राप्त कर रहा था, तो पेंशन के उस भाग की राशि से उसका संराशित मूल्य, तथा

(तीन) उसके द्वारा किसी अन्य रूप में लिये जा रहे या प्राप्त किए या लिए जाने वाले या प्राप्त किए जाने वाले सेवानिवृत्ति के लाभों की धनराशि से।

4. अवकाश :

(1) राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को ऐसी अवकाश सुविधा अनुमन्य होगी, जैसा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अनुमन्य है। यदि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष उच्चतम् न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों तो उन्हें उच्चतम् न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य अवकाश देय होंगे।

(2) आयोग के सदस्य को निम्नानुसार अवकाश देय होगा:–

(i) सेवा के प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 15 दिवस तक उपार्जित अवकाश,

(ii) अर्द्ध वेतन अवकाश, मेडिकल प्रमाण–पत्रों के आधार पर अथवा व्यक्तिगत कार्यों हेतु, प्रत्येक पूर्ण वर्ष या सेवा के सापेक्ष, 20 दिन का अवकाश तथा अर्द्ध वेतन अवकाश, अर्जित अवकाश के दौरान स्वीकार्य अवकाश, वेतन के आधे के बराबर होगा; तथा

(iii) सम्पूर्ण कार्यालय अवधि के दौरान अधिकतम 180 दिवस का असाधारण अवकाश, बिना किसी वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे:

परन्तु यह कि यदि कोई सदस्य उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहा हो, तो उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य अवकाश सुविधा अनुमन्य होगी;

(iv) राज्य आयोग में पदावधि की समाप्ति पर, अध्यक्ष या सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, उसके अवकाश लेखे में अवशेष अर्जित अवकाश समकक्ष नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार होगा, जो अधिकतम अवकाश के नकदीकरण या पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त के समय पर, जैसी भी स्थिति हो, या दोनों को मिलाकर, किसी भी दशा में तीन सौ दिन से अधिक नहीं होगा, के अध्यधीन होगी।

(v) अध्यक्ष तथा सदस्य राज्य आयोग में उनके पद को छोड़ने की तिथि से लागू दर पर उपनियम (3) के अधीन अवकाश वेतन पर यथा अनुज्ञेय महंगाई भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे:

परन्तु वह ऐसे अवकाश वेतन पर शहर प्रतिपूरक भत्ता या किसी अन्य भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा;

(vi) यदि उच्च न्यायालय में आसीन न्यायाधीश आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उपनियम (1), (2) या (3) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 के अध्याय–दो के उपबन्ध, उसको उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा निवृत्ति की तिथि तक लागू होंगे और तद्परान्त उपनियम (1), (2) और (3) के उपबन्धों के अनुसार अवकाश तथा अवकाश के नकदीकरण के लिए हकदार होगा।

5. अवकाश यात्रा सुविधा :

अध्यक्ष, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष अवकाश यात्रा सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा तथा सदस्य ऐसे अवकाश यात्रा रियायत के हकदार होंगे जो उत्तराखण्ड के सचिव (आई0ए0एस0) संवर्ग के अधिकारी को प्राप्त है किन्तु उच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश आयोग में सदस्य हों तो उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही अवकाश यात्रा सुविधा प्राप्त होगी, तद्परान्त नियमावली के प्राविधान लागू होंगे।

6. अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी :

आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उपार्जित अवकाश तथा अवकाश यात्रा सुविधा स्वीकृत करने या इन्कार करने की या उसके अवकाश को रद्द करने या अल्पीकरण की शक्ति श्री राज्यपाल महोदय में निहित होगी।

7. यात्रा भत्ता :

अध्यक्ष या सदस्य, दौरे के समय (राज्य आयोग में कार्य ग्रहण करने की यात्रा तथा राज्य आयोग से उसकी पद अवधि की समाप्ति पर, उसके गृह नगर में जाने की यात्रा शामिल है) यात्रा भत्ता, परिवहन के लिए भत्ता तथा अन्य समरूप मामले तथा दैनिक भत्ते, उसी दर पर प्राप्त करने का हकदार होगा, जो उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, जैसी भी स्थिति हो, को अनुज्ञेय है।

8. सेवा की अन्य शर्तें :

निःशुल्क किराया आवास, वाहन सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं के उपबन्ध से सम्बन्धित सेवा शर्त तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें, जो समय–समय पर उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को लागू हैं, क्रमशः अध्यक्ष तथा सदस्यों को भी लागू होंगी।

9. अवशिष्ट उपबन्ध :

अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है, भारतीय प्रशासकीय सेवा से सम्बन्धित उत्तराखण्ड सरकार के सचिव को तत्समय लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा अवधारित की जायेगी।

10. नियमों में शिथिलता देने की शक्ति :

राज्य सरकार को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्गों के सम्बन्ध में इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को शिथिल करने की शक्ति होगी।

11. नियमों का लागू न होना :

यदि राज्य सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि किसी विशेष मामलें इन नियमों के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हो रही हो, तो उस नियम की आवश्यकतानुसार उस सीमा तक लागू न होने के आदेश निर्गत कर सकती है।

12. भविष्य निधि में सदस्यता :

आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर नियुक्त प्रत्येक सदस्य को भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) में सदस्यता प्राप्त करने के लिये अर्ह माना जायेगा।

आज्ञा से,
डॉ0 उमाकन्त पंवार
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–8

अधिसूचना

23 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1363/XX(8)2016–11(29)2015–श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा (ध) एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त उपबन्धों के तहत अधिसूचना संख्या 585/XX(8)2015–11(29)2015, दिनांक 12 जुलाई, 2016, जिसके द्वारा जिला पिथौरागढ़ के कस्बा जाजरदेवल में पुलिस थाना सृजित किया गया है, को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए उक्त थाने के क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से सम्मिलित 48 ग्रामों के अतिरिक्त तहसील पिथौरागढ़ के राजस्व क्षेत्र के 28 गाँवों को भी नियमित पुलिस क्षेत्र के क्षेत्रान्तर्गत अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्देश देते हैं कि थाना जाजरदेवल के क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से सम्मिलित ग्रामों के अतिरिक्त परिशिष्ट–1 में उल्लिखित 28 ग्राम, नियमित पुलिस क्षेत्रान्तर्गत थाना जाजरदेवल में सम्मिलित होंगे तथा तहसील पिथौरागढ़ के राजस्व पुलिस के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे।

परिशिष्ट–1

जनपद पिथौरागढ़ के कस्बा जाजरदेवल के नियमित पुलिस थाना क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने वाले अतिरिक्त 28 गाँवों की सूचीः–

अधिसूचना संख्या 1363/XX(8)2016–11(29)2015

दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 ई0

क्र0 सं0	गाँव का नाम	क्र0 सं0	गाँव का नाम
01.	मूलागाड	15.	दांगड
02.	धारीगाड	16.	गाडगाँव
03.	बिपुल	17.	मडमानले
04.	बीसाबजेड़	18.	सुवालेख
05.	पचौरा	19.	उखडीसेरी
06.	पैकटिया	20.	पाली
07.	भौड़ी	21.	नरगोली
08.	नाघर	22.	हडेती
09.	भूलगाँव	23.	मलान
10.	खूना	24.	स्याला
11.	सिरड	25.	बडेउ
12.	धुराईजर	26.	खितौली
13.	खर्कदोली	27.	नैकिनापाण्डेय
14.	सौडलेख	28.	सटगल

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,

प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–9

अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 305/2016/XXVII(9)/यू0ओ0–20/स्टाम्प/2016–श्री राज्यपाल महोदय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त तथा समय–समय पर यथासंशोधित की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की मेगा फूड पार्क योजना के अन्तर्गत राज्य में स्थापित मेगा फूड पार्क तथा इसके तहत स्थापित होने वाली इकाईयों के लिये प्रथम बार भूमि क्रय तथा लीज डीड पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में शत–प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

22 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 304/2016/XXVII(9)/स्टाम्प–54/2008–स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नलिखित उप निबन्धक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600 के पद पर नियमित चयनोपरान्त पदोन्नति प्रदान करते हुए निम्नांकित स्थानों पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	प्रस्तावित तैनाती का स्थान
1.	श्री संदीप श्रीवास्तव	सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, मुख्यालय, देहरादून
2.	श्री अरूण प्रताप सिंह	सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, देहरादून
3.	श्री सुधांशु कुमार त्रिपाठी	सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, नैनीताल

2. उपर्युक्त पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना ही तत्काल अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3. उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष विहित परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा उक्त पदोन्नति इस शर्त के साथ की जाती है कि मा0 न्यायालय के आदेश अथवा अन्तिम रूप से वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा उ0प्र0 राज्य से उत्तराखण्ड राज्य में कार्यभार ग्रहण करने की दशा में परिवर्तनीय/परिवर्द्धित होगी।

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

सूचना अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

23 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 401/XXII/16–3(4)2015–प्रदेश में फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना विकास, शूटिंग स्थलों का निर्माण, फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के माध्यम से रोजगार, पर्यटन के महत्व को बढ़ाने एवं क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने, निजी क्षेत्र से पूँजी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015, दिनांक 10 अगस्त, 2015 के क्रम में प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बन्द पड़े सिनेमाहॉलों को पुनर्जीवित (Revive) किये जाने हेतु "प्रदेश के 1000 मीटर से ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों में बन्द पड़े सिनेमाघरों को पुनर्जीवित करते हुए आगामी 05 वर्षों के लिए मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने की" श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

विनोद शर्मा,
सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग–2

अधिसूचना

23 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1459/XVII–2/16–05(OBC)/2015–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 4, सन् 1994) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 13 तथा उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 (उत्तरांचल अधिनियम सं0 07, सन् 2003) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श

के पश्चात् उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित संशोधन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	विद्यमान प्रविष्टि संख्या	सम्मिलित जाति/समुदाय		संशोधन	
		मूल जाति	उपजाति	मूल जाति	उपजाति
1.	1	अहीर	यदुवंशीय	–	यदुवंशी
2.	10	कम्बोज	–	काम्बोज	–
3.	31	बंजारा	गुकेरानी	–	मुकेरानी
4.	54	हलवाई	मोदनवा	–	मोदनवाल
5.	73	धाकड़	–	धाकड़	–
6.	81	धुत बाहती/चाहंग	–	घृत, बाहती, चाहंग	–

आज्ञा से,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No.1459/XVII-2/16-5(OBC)/2015,** dated December 23, 2016:

NOTIFICATION

December 23, 2016

No.1459/XVII-2/16-5(OBC)/2015--In exercise of the powers conferred by section 13 of the Uttar Pradesh Lok Seva (Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (UP Act no. 4 of 1994) (as applicable in the State of Uttarakhand) and section 11 of the Uttarakhand State Commission for Other Backward Classes Act, 2003 (Act 07 of 2003) and in consultation with the State Commission for Other Backward Classes, the Governor is pleased to accord sanction to amend the following Schedule-1 of the Uttar Pradesh Lok Seva (Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Caste Reservation) Act, 1994 (UP Act no. 4 of 1994), to the context of Uttarakhand State, from the date of publication of this notification :

Sl No.	Existing Entry	Entry (Cast & Community)		Amended	
		Original	Sub Caste	Original	Sub Caste
1.	1	Aheer	Yaduvanshia	Aheer	Yaduvanshi
2.	10	Kamboj	–	Kamboj	–
3.	31	Banjara	Gukerani	Banjara	Mukerani
4.	54	Halwai	Modanava	Halwai	Modanwal
5.	73	Ghakar	–	Dhakar	–
6.	81	Grith Bhati/Chahang	–	Ghrit, Bahti, Chahang	–

By Order,

Dr. BHUPINDER KAUR AULAKH.

Secretary.

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना/संशोधन

23 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1179/IX–1/2016/90/2016–अधिसूचना संख्या 1400/IX–1/2016/90/2016, दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा हेतु लीड एजेंसी का गठन किया गया था। उक्त में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत् सदस्य नामित किये जाते हैं:–

1.	लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियन्ता, देहरादून	सदस्य,
2.	चिकित्सा विभाग, अपर निदेशक (प्रशासन), देहरादून	सदस्य,
3.	सहायक निदेशक, शहरी विकास, देहरादून	सदस्य,
4.	अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात, पुलिस विभाग, देहरादून	सदस्य,
5.	अपर निदेशक, राज्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद्, देहरादून	सदस्य,
6.	अपर आयुक्त, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य,
7.	रोड सेफ्टी ऑफिसर, एन0एच0ए0आई0, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सदस्य,
8.	सीमा सड़क संगठन से सम्बन्धित अधिकारी	सदस्य।

2. उक्त अधिसूचना को उक्त सीमा तक यथासंशोधित समझा जाय।

सी0 एस0 नपलच्याल,
सचिव।

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is please to order the publication of the following English translation of the Notification **No.1338A/243/IX/2011,** dated November 29, 2016:

NOTIFICATION

November 29, 2016

No.1338A/243/IX/2011--In exercise of the power conferred by sub section (2) of section 1 of the Uttarakhand Transport and Civil Infrastructure Cess (Amendment) Act, 2016 (Uttarakhand Act no. 13, year 2016), the Governor, appoint 29.11.2016 the date on which the aforesaid Act shall come into force.

By Order,
C. S. NAPALCHYAL,
Secretary.

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

22 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1033/VII–1/17–उद्योग/2013 TC–श्री राज्यपाल महोदय, औद्योगिक विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 556/VII–2/2015/17–उद्योग/2013, दिनांक 28 जुलाई, 2015, के प्रस्तर XI (3) में विद्यमान प्राविधान के स्थान पर अग्रसारित प्राविधान प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्राविधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
XI (3) Interest Subsidy–उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्पादन के उपरान्त आगामी 05 वर्षों तक उद्यमियों को 07 प्रतिशत तक की Interest Subsidy दी जायगी।	उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्पादन के उपरान्त आगामी 05 वर्षों तक उद्यमियों को 07 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी (समस्त ब्याज सब्सिडी को सम्मिलित करते हुए) निम्नवत् अनुमन्य होगीः– (1) ₹ 50.00 करोड़ से अधिक तथा ₹ 75.00 करोड़ तक पूँजी निवेश हेतु 07 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी अधिकतम सीमा ₹ 25.00 लाख प्रति वर्ष तक दी जायेगी। (2) ₹ 75.00 करोड़ से अधिक तथा ₹ 200.00 करोड़ तक पूँजी निवेश हेतु 07 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी अधिकतम सीमा ₹ 35.00 लाख प्रति वर्ष तक दी जायेगी। (2) ₹ 200.00 करोड़ से ज्यादा पूँजी निवेश हेतु 07 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी अधिकतम सीमा ₹ 50.00 लाख प्रति वर्ष तक दी जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप

22 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1034/VII–1/40–सिडकुल/2014–श्री राज्यपाल महोदय, औद्योगिक विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 791/VII–1/40–सिडकुल/2014, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014, के प्रस्तर 9 (III) में विद्यमान प्राविधान के स्थान पर निम्नलिखित प्राविधान प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्राविधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
9(III) Interest Subsidy–उत्तराखण्ड राज्य उत्पादन के उपरान्त आगामी 07 वर्षों तक टैक्सटाईल उद्यम पर 07 प्रतिशत तक की Interest Subsidy दी जायेगी।	उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्पादन के उपरान्त आगामी 07 वर्षों तक टैक्सटाईल उद्यम पर 07 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (समस्त ब्याज सब्सिडी को सम्मिलित करते हुए) अधिकतम ₹ 50.00 लाख प्रति वर्ष अनुमन्य होगी।

आज्ञा से,
डा0 आर0 राजेश कुमार,
अपर सचिव।

खेलकूद अनुभाग

अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 761(B)/VI/2016–33(7)/2014–राज्य में खेलों को बढ़ावा देने, आधारभूत खेल सुविधाएँ विकसित करने, खेलों में जन भागीदारी को बढ़ावा देने, खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को अधिकाधिक संख्या में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करने, युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देते हुए, उनको रचनात्मक कार्यों हेतु प्रोत्साहित करने हेतु किक बाक्सिंग एवं पॉवरलिफ्टिंग खेलों को खेल नीति–2014 में गैर ओलम्पिक खेलों की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने के साथ–साथ गैर ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल, कराटे एवं बेसबॉल को गैर ओलम्पिक खेल से हटाते हुए, खेल नीति–2014 के ओलम्पिक खेलों की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 16 जनवरी, 2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

आज्ञा से,
शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

16 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 2803/X–1–2016–14(09)/2014–श्री प्रेम कुमार, भा0व0से0, मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून, जिनकी जन्मतिथि 11.01.1957 (ग्यारह जनवरी सन् उन्नीस सौ सत्तावन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.01.2017 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

आर0 के0 तोमर,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 हिन्दी गजट/02–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 जनवरी, 2017 ई० (पौष 24, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 26, 2016
Dec.

No. 316/UHC/XIV-a-33/Admin.A/2012--Sri Manoj Kumar Dwivedi, Judicial Magistrate-I, Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 30 days *w.e.f.* 15.11.2016 to 14.12.2016 with permission to prefix 12.11.2016 to 14.11.2016 as public holidays.

NOTIFICATION

December 28, 2016

No. 317/UHC/XIV-a/42/Admin.A/2011--Sri Rahul Garg, 2nd Additional District & Sessions Judge, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 14 days *w.e.f.* 02.12.2016 to 15.12.2016.

NOTIFICATION

December 28, 2016

No. 318/UHC/XIV-a-7/Admin.A/2009--Sri Rahul Kumar Srivastava, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 20 days *w.e.f.* 19.11.2016 to 08.12.2016.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल

आदेश

15 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्र संख्या 1094/सा0प्रशा0/नोटिस/2016–17–वाहन संख्या यू0के0 12टीबी–0591 (ऑटोरिक्शा) का चालान दिनांक 27.09.2016 को प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन में स्वीकृत 04 के सापेक्ष 11 सवारी ले जाने एवं 02 सवारी चालक कक्ष में ले जाने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमित्ता के कारण प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी ग्राम लच्छमपुर, पो0 कलालघाटी, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520000017146 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 913/सा0प्रशा0/लाई0 नोटिस/2016–17, दिनांक 05.11.2016 प्रेषित किया गया है। चालक उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 28.11.2016 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए, भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी के रूप में, मैं रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520000017146 को दिनांक 01.12.2016 से दिनांक 10.01.2017 तक 40 दिवस की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

आदेश

15 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्र संख्या 1095/सा0प्रशा0/नोटिस/2016–17–वाहन संख्या यू0ए0 12–6513 (जनभार वाहन), का चालान दिनांक 14.09.2016 को प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन में 5800 कि0ग्रा0 से ओवर लोड ले जाने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमित्ता के कारण प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री गिरीश चन्द्र पुत्र श्री सीताराम, निवासी ग्राम बडडा, पो0 दुधारखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520000013834 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 914/सा0प्रशा0/लाई0 नोटिस/2016–17, दिनांक 05.11.2016 प्रेषित किया गया है। चालक उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 30.11.2016 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए, भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी के रूप में, मैं रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520000013834 को दिनांक 14.12.2016 से दिनांक 13.01.2017 तक एक माह की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

रावत सिंह,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
कोटद्वार, गढ़वाल।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

26 नवम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 2390/टी0आर0/पंजी0नि0/HR55A-0964/2016–वाहन संख्या HR55A-0964, मॉडल 2001, चेसिस संख्या 373141FYZ110757 तथा इंजन नं0 697TC43FYZ101031, कार्यालय में श्री मुरारी लाल पुत्र श्री भगवान दास, निवासी पैयपुरा, वार्ड नं0 9, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 26.11.2016 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.11.2016 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु दिनांक 10.11.2016 की आख्या पत्रावली में संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR55A-0964 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373141FYZ110757 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

16 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 2439/टी0आर0/पंजी0नि0/UP02A-1411/2016–वाहन संख्या UP02A-1411, मॉडल 1991, चेसिस संख्या 364073542655 तथा इंजन नं0 692D01514131, कार्यालय में श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री पी0 एल0 बांगा, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, गली नं0 1, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 25.11.2016 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2016 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु दिनांक 24.11.2016 की आख्या पत्रावली में संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP02A-1411 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364073542655 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

16 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 2440/टी0आर0/पंजी0नि0/UP02-0037/2016–वाहन संख्या UP02-0037, मॉडल 1989, चेसिस संख्या 364073888942 तथा इंजन नं0 692D01924362, कार्यालय में श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री प्यारे लाल बांगा, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, गली नं0 1, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 25.11.2016 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2016 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु दिनांक 24.11.2016 की आख्या पत्रावली में संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP02-0037 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364073888942 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

17 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 2463/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06AH-1719/2016–वाहन संख्या UK06AH-1719, मॉडल 2015, चेसिस संख्या ME4JF504KF7372673 तथा इंजन नं0 JF50E72372754, कार्यालय में श्री भारत चावला पुत्र श्री बनारसी दास चावला, निवासी म0नं0 41, मुख्य बाजार, वार्ड नं0 11, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 23.11.2016 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन आग लगने के कारण पूर्ण रूप से जल गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06AH-1719 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या ME4JF504KF7372673 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

22 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 2487/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CA-8147/2016–वाहन संख्या UK06CA-8147, मॉडल 2015, चेसिस संख्या MC2L1KRC0FE007648 तथा इंजन नं0 E613CDFD029770, कार्यालय में श्रीमती लाल झड़ी पत्नी श्री अदालत सिंह, निवासी पन्तनगर मेन मार्केट, म0 नं0 13, पन्तनगर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 17.11.2016 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन आग लगने के कारण पूर्ण रूप से जल गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। वाहन का कर कार्यालय अभिलेखानुसार 31 मई, 2016 तक जमा है तथा 01.06.2016 से 31.12.2016 तक के कर का परिहार कार्यालय आदेश संख्या 2472/कर पंजीयन/कर परिहार/2016, दिनांक 19.12.2016 के द्वारा किया गया हैं। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु दिनांक 29.11.2016 की आख्या पत्रावली में संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06CA-8147 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MC2L1KRC0FE007648 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय आदेश

24 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 2496/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CA-7553/2016–वाहन संख्या UK06CA-7553 (TRAILAR), मॉडल 2015, चेसिस संख्या UK04150100126 कार्यालय में श्री राम सिंह पुत्र श्री फागू सिंह, निवासी ग्राम वमनपुरी, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 21.12.2016 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2016 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु दिनांक 21.12.2016 की आख्या पत्रावली में संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06CA-7553 (TRAILAR) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या UK04150100126 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

19 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 906/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2016—श्री विवेक सिंह पुत्र श्री राम सिंह, ग्राम जखन्याल, गाँव व पो0 तिमली, जिला रूद्रप्रयाग का, दिनांक 10.10.2016 को पुलिस विभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा वाहन संख्या यू0ए012—0614(मोटरसाइकिल) का, शराब का सेवन कर वाहन संचालन करने के अभियोग में चालान किया गया। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग द्वारा चालक के चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0के0 1320090000148, जो कि इस कार्यालय द्वारा क्रमशः MCWG(NT), LMV(NT), LMV(T) जारी किया गया है। जिसकी वैधता क्रमशः 08.01.2029 (अव्यवसायिक) व 20.04.2017 (व्यवसायिक) तक है, के विरूद्ध निरस्तीकरण/निलम्बन की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्रांक 841/सा0प्रशा0/2016, दिनांक 21.11.2016 के माध्यम से श्री विवेक सिंह पुत्र श्री राम सिंह, ग्राम जखन्याल, गाँव व पो0 तिमली, जिला रूद्रप्रयाग को नोटिस प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में इनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर, इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ।

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, पंकज श्रीवास्तव, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, आपके लाइसेन्स संख्या यू0के0 1320090000148 (वैधता उपरोक्त) को, दिनांक 19.12.2016 से 18.03.2017 तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

आदेश

19 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 907/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2016—श्री मयंक रावत पुत्र श्री प्रेम सिंह, ग्राम धान्यू (विजयनगर) पो0ऑ0 अगस्तमुनी, जिला रूद्रप्रयाग का, दिनांक 05.10.2016 को पुलिस विभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा वाहन संख्या यू0ए0 07के0—9963(टाटासूमो) का, शराब का सेवन कर वाहन संचालन करने के अभियोग में चालान किया गया। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग द्वारा चालक के चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0के0 1320130003700, जो कि इस कार्यालय द्वारा क्रमशः MCWG(NT), LMV(NT), LMV(T) व पहाड़ी मार्गों हेतु पृष्ठांकित हेतु जारी किया गया है। जिसकी वैधता क्रमशः 28.02.2033 (अव्यवसायिक) व 27.04.2017 (व्यवसायिक) तक है, के विरूद्ध निरस्तीकरण/निलम्बन की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्रांक 855/सा0प्रशा0/2016, दिनांक 26.11.2016 के माध्यम से श्री मयंक रावत पुत्र श्री प्रेम सिंह, ग्राम धान्यू (विजयननगर) पो0 ऑ0 अगस्तमुनी, जिला रूद्रप्रयाग को नोटिस प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में इनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर, इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ।

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, पंकज श्रीवास्तव, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, आपके लाइसेन्स संख्या यू0के0 1320130003700 (वैधता उपरोक्त) को, दिनांक 19.12.2016 से 18.03.2017 तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

आदेश

19 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 908/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2016—श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, ग्राम संकरोडी, पो0 बरसूडी, जिला रूद्रप्रयाग का, दिनांक 22.06.2016 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा इनके द्वारा संचालित वाहन संख्या यू0के0 13टी0ए0—0159(मैक्सी कैब) का, विभिन्न अभियोगों में चालान कर, इनके लाइसेन्स संख्या यू0के0—1320130004535, जो इस कार्यालय द्वारा MCWG(NT), LMV(NT) हेतु जारी किया गया है व जिसकी वैधता 25.08.2033 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्रांक 840/सा0प्रशा0/2018, दिनांक 21.11.2016 के माध्यम से श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, ग्राम संकरोडी, पो0 बरसूडी, जिला रूद्रप्रयाग को नोटिस प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में इनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर, इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ।

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, पंकज श्रीवास्तव, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, आपके लाइसेन्स संख्या यू0के0—1320130004535 (वैधता उपरोक्त) को, दिनांक 19.12.2016 से 18.03.2017 तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

आदेश

23 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 922/पंजीयन निरस्त/2016—17—वाहन संख्या UK13CA-0426(D/V), मॉडल 2014, चेसिस संख्या MA1ZN2GHKE1L80816, इंजन संख्या GHEIL65161, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री दलबीर सिंह पुत्र स्व0 बचन सिंह, ग्राम कोलू, पो0 चोपता जाखणी, जिला रूद्रप्रयाग के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने अपने वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया। चूँकि दिनांक 30.06.2015 को उक्त वाहन चोपता, रूद्रप्रयाग मोटर मार्ग पर स्थान थलासू में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उक्त वाहन फाइनेन्स मुक्त है तथा वाहन का चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा किया गया है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा उक्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन का पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं पंकज श्रीवास्तव (पंजीयन अधिकारी, रूद्रप्रयाग), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23.12.2016 को वाहन संख्या UK13CA-0426(D/V) का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

पंकज श्रीवास्तव,
प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

19 नवम्बर, 2016 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), वाणिज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रूद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक/4993/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0/16–17/देहरादून–शासन के पत्र संख्या 966/2016/01(A)(120)/XXVII(8)/01, दिनांक 25 नवम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सीजन वर्ष 2016–17 (दिनांक 01.10.2016 से दिनांक 30.09.2016 तक) अथवा वस्तु एवं सेवा कर लागू होने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए समाधान योजना लागू करते हुए समाधान राशि निर्धारित की गई है।

उपरोक्त अधिसूचना इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

966/2016/01(A)(120)/XXVII(8)/01

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–8　　देहरादूनः दिनांक 25 नवम्बर, 2016

विषय–सीजन वर्ष 2016–17 के लिये ईंट–भट्टा समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 3815/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0/वाणि0 कर/2016–17/देहरादून, दिनांक 29.09.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ईंट–भट्टा सीजन वर्ष 2016–17 (दिनांक 01.10.2016 से 30.09.2017 तक) अथवा वस्तु एवं सेवा कर लागू होने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए ईंट–भट्टा समाधान योजना लागू किये जाने एवं समाधान शुल्क में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। इस सम्बन्ध में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ईंट–भट्टा सीजन वर्ष 2016–17 (दिनांक 01.10.2016 से 30.09.2017 तक) अथवा वस्तु एवं सेवा कर लागू होने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए ईंट–भट्टा समाधान योजना लागू करते हुए निम्नानुसार समाधान राशि निर्धारित की जाती है:–

भट्टे की श्रेणी	वर्ष 2015–16 के लिये समाधान राशि प्रति भट्टा	वर्ष 2016–17 के लिये समाधान राशि प्रति भट्टा
1	2	3
15 पाये तक	150000	180000
16 पाये तक	172000	206000
17 पाये तक	204000	245000
18 पाये तक	242000	290000
19 पाये तक	282000	338000

1	2	3
20 पाये तक	324000	389000
21 पाये तक	370000	444000
22 पाये तक	436000	523000
23 पाये तक	502000	602000
24 पाये तक	566000	679000
25 पाये तक	641000	769000
26 पाये तक	714000	857000
27 पाये तक	794000	953000
28 पाये तक	874000	1049000
29 पाये तक	956000	1147000
30 पाये तक	1044000	1253000
31 पाये तक	1130000	1356000
32 पाये तक	1222000	1466000
33 पाये तक	1304000	1565000
34 पाये तक	1394000	1673000
35 पाये तक	1486000	1783000
36 पाये तक	1571000	1885000
37 पाये तक	1658000	1990000
38 पाये तक	1748000	2098000
39 पाये तक	1835000	2202000
40 पाये तक	1920000	2304000

2. इस योजना से सम्बन्धित शासन के दिशा—निर्देश एवं प्रारूप—1 (समाधान हेतु प्रार्थना—पत्र) एवं प्रारूप—2 (शपथ—पत्र/अनुबन्ध—पत्र) संलग्न है। इस योजना का अपने स्तर से व्यापक प्रचार—प्रसार कराते हुए उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

प्रारूप—1

भट्टा व्यवसाय में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र

सेवा में,

कर निर्धारक प्राधिकारी,
खण्ड................................
मण्डल/उपमण्डल.......... ।

महोदय,

मैं, फर्म सर्वश्री..जिसका मुख्यालय.........................पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 में...............................कार्यालय...........................द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण—पत्र संख्या........................दिनांक.......................से प्रभावी किया गया है तथा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए कर निर्धारक प्राधिकारी खण्ड...............................मण्डल/उपमण्डल..............................के कार्यालय में दिनांक .... को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी/साझीदार.........................हूँ। मैंने ईंट निर्माताओं द्वारा अपने भट्टे में स्वनिर्मित ईंटों, ईंट भट्टे में निर्मित टाइल्स, ऐसे ईंट के रोड़ों, राबिश आदि की दिनांक 01—10—2016 से दिनांक 30—09—2017 तक की अवधि में की जाने वाली बिक्री पर तथा उक्त ईंट आदि के निर्माण में प्रयोग हेतु क्रय किये जाने वाले लकड़ी, कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे पर देय कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है अथवा पूर्णरूप से सुन लिया है और भलीभाँति समझ लिया है। उक्त निर्देश की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं। उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना—पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं, उक्त फर्म द्वारा ईंटों, ईंट भट्ठे में निर्मित टाइल्स तथा ऐसी ईंटों के रोड़ों और राबिश की सीजन वर्ष 2016—17 (दिनांक 01—10—2016 से दिनांक 30—09—2017 तक) में की जाने वाली बिक्री तथा इसी अवधि में ईंटों के निर्माण में प्रयोग हेतु क्रय किये जाने वाले लकड़ी, कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त निर्धारित धनराशि संलग्न शपथ—पत्र/अनुबन्ध के अनुसार, जो ₹.............................है, स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ। कुल राशि को मैं शपथ—पत्र/अनुबन्ध—पत्र में दी गयी शर्तों के अनुसार जमा करता रहूँगा। उक्त धनराशि का.............प्रतिशत राशि ₹ ....तथा उस पर देय ब्याज मेरे द्वारा जमा कर दिया गया है, जिसका चालान संलग्न है। मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी कारण से मेरा यह निवेदन वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा।

दिनांक 01—10—2016 को मेरे यहाँ स्टॉक निम्नवत् था:—

क्रम सं0	विवरण	संख्या/मात्रा	स्थान, जहाँ स्टॉक रखा है
1.	पक्की ईंटें,		
2.	ईंटों के रोड़े,		
3.	भट्ठे में निर्मित टाइल्स,		
4.	राबिश,		
5.	कोयला,		
6.	लकड़ी,		
7.	बालू,		
8.	लकड़ी का बुरादा।		

दिनांक......................................

हस्ताक्षर..

पूरा नाम..

प्रास्थिति..

प्रमाणीकरण

मैं, इस प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म... के स्वामी/साझीदार..हैं तथा इस प्रार्थना–पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

पूरा नाम..

पूरा पता..

प्रारूप—2

समक्ष कर निर्धारक प्राधिकारी,
खण्ड...
मण्डल/उपमण्डल........................।

मैं, ...पुत्र श्री ....आयु लगभग.......................वर्ष, स्थायी निवासी...(पूरा पता) शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि—

1. मैं, फर्म सर्वश्री...जिसका मुख्यालय...(पूरा पता), पर स्थित है, का स्थायी/साझीदार...(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ—पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2. मेरे फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् हैं:—

पूरा पता वस्तुएँ, जिसका निर्माण या व्यापार होता है	निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण
1. मुख्यालय	
2. शाखायें	
(अ)	
(ब)	
(स)	

3. उत्तराखण्ड ईंट निर्माताओं द्वारा ईंटों, ईंट भट्टे में निर्मित टाइल्स, ईंटों के रोड़ों तथा राबिश की सीजन वर्ष 2016—17 (दिनांक 01—10—2016 से दिनांक 30—09—2017) में हुई बिक्री और उसी अवधि में ईंटों के उत्पादन में प्रयुक्त लकड़ी, कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तों तथा आयुक्त कर, उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी—पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है तथा सभी निर्देश, शर्तें, आदेश, प्रतिबन्ध, मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।

4. मेरी उक्त फर्म के अपने निजी एवं लीज पर ईंट के निम्नलिखित भट्टे सीजन वर्ष 2016—17 (दिनांक 01—10—2016 से दिनांक 30—09—2017 तक) में है तथा रहेंगे। यदि इसमें कोई परिवर्तन/वृद्धि होती है, हो या किसी भट्टे के पायों में कमी या वृद्धि की जाती है तो उसकी सूचना ऐसे परविर्तन/वृद्धि से तीस दिन के अन्दर अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को उपलब्ध कराऊँगा। मेरी फर्म के अन्तर्गत समस्त भट्टों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र0 सं0	भट्टों का नाम एवं उनके स्थान का पूरा पता	पायों की संख्या	एक समय में कितने स्थान पर फुकाई होती है	पायों की सं0 के आधार पर प्रत्येक भट्टे के लिए प्रस्तावित एक मुश्त धनराशि	प्रस्तावित समाधान राशि
1	2	3	4	5	6

कुल योग.................

5. प्रस्तर–4 में अंकित भट्टों तथा इसी तालिका के स्तम्भ–6 में अंकित धनराशि का कुल योग.....................................होता है, जो मेरी/हमारी फर्म द्वारा देय होगा। इस धनराशि की 20 प्रतिशत राशि का चालान इस शपथ–पत्र अनुबन्ध व मेरे प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। यदि मेरे द्वारा फर्म की ओर से उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार होता है, तब अवशेष समाधान धनराशि, मेरी फर्म द्वारा, शासन द्वारा निर्गत समाधान योजना में निर्धारित समय सीमा के अन्दर जमा की जायेगी।

6. हमारा/मेरा भट्टा नया अथवा....................................से उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (7) के खण्ड (ङ)(ii) के अन्तर्गत विघटन के कारण पुर्नगठित हुआ है और इसमें दिनांक...से फुकाई प्रारम्भ हुई है/होगी। इस पर देय समाधान राशि ₹...होती है, जिसका 1/3 मैंने..............................बैंकों की शाखा........................में जमा कर दिया है और चालान संलग्न है। शेष धनराशि मैं आयुक्त कर के निर्देशानुसार जमा करूंगा।

7. यदि सीजन वर्ष 2016–17 (दिनांक 01–10–2016 से दिनांक 30–09–2017) के लिये मेरा धारा 7 की उपध ाारा (2) में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ–पत्र/अनुबन्ध के अनुलग्नक–1 में दी गयी शर्तों का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा आयुक्त कर द्वारा लगायी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों, लगाए गये प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तों के अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तराखण्ड शासन तथा व्यापार कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियाँ मेरी फर्म के विरूद्ध कर सकेगा।

हस्ताक्षर..

पूरा पता..

प्रास्थिति..

घोषणा

मैं, कि..उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ–पत्र अनुबन्ध के प्रस्तर–1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ–पत्र/अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

हस्ताक्षर..

पूरा नाम..

प्रास्थिति..

साक्षी के हस्ताक्षर..

नाम एवं पता..

तिथि एवं स्थान..

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

विपिन चन्द्र,
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 हिन्दी गजट/02–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 जनवरी, 2017 ई0 (पौष 24, 1938 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, नैनीताल

ग्राम पंचायत के उप प्रधान का उप निर्वाचन, 2016

सूचना

21 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 155/पंचास्थानि/उप प्रधान–उप निर्वाचन (दिसम्बर, 2016)–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 822/रा0नि0आ0अनु0 2/2119/2016, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 के अनुपालन में, मैं, दीपक रावत, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), नैनीताल, विकास खण्ड, बेतालघाट की ग्राम पंचायत, पाडली के उप प्रधान का उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारणी के अनुसार सम्पादित कराने हेतु सूचित करता हूँ:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
28.12.2016 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)	28.12.2016 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)	28.12.2016 (दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक)	28.12.2016 (अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 13:00 बजे तक)	28.12.2016 (अपराह्न 13:30 बजे से अपराह्न 15:30 बजे तक)	28.12.2016 (अपराह्न 16:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

नोटः–

1. ग्राम पंचायत, पाडली के लिए नियुक्त किये गये निर्वाचन अधिकारी/मतदान अध्यक्ष, ग्राम पंचायत, पाडली की बैठक दिनांक 28.12.2016 को उप प्रधान के निर्वाचन हेतु आहूत करेंगे। उक्त बैठक ग्राम पंचायत के पंचायत भवन, यदि पंचायत भवन न हो तो ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय भवन अथवा धार्मिक स्थल को छोड़कर अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर ही आहूत की जायेगी, किसी व्यक्ति विशेष के निवास स्थान पर उक्त बैठक कदापि आहूत नहीं की जायेगी।

2. उप प्रधान के निर्वाचन हेतु ग्राम पंचायत के सदस्यों की सूची, निर्वाचन सूची होगी।

3. उत्तराखण्ड पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 11(ग) के अनुसार उप प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से नियत रीति से निर्वाचित किया जायेगा तथा उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार इस निर्वाचन में प्रधान को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

4. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश तथा उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994} अनूकुलन एवं उपान्तरण आदेश के अनुसार इस निर्वाचन में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।

5. उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन–पत्रों की प्राप्ति, नाम निर्देशन–पत्रों की जाँच, नाम वापसी, निर्वाचन प्रतीक आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न कराया जायेगा।

6. राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या 191/रा0नि0आ0/निर्वा0(33)/2001, दिनांक 30 अगस्त, 2001 में उप प्रधानों के निर्वाचन हेतु अधिसूचित निर्वाचन प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाये जायेंगे एवं आयोग द्वारा आपूर्ति की गई मतपेटी प्रयोग में लायी जायेगी।

7. नाम निर्देशन–पत्र का मूल्य सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी के लिए ₹ 70 (रुपये सत्तर) तथा अनु0जाति, अनु0 जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिला के लिए ₹ 35 (रुपये पैंतिस) है।

8. निक्षेप (जमानत) की धनराशि सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी के लिए ₹ 250 (रुपये दो सौ पचास) तथा अनु0 जाति, अनु0 जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिला के लिए ₹ 125 (रुपये एक सौ पच्चीस) है।

9. उप प्रधान पद के प्रत्याशियों द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा ₹ 7500 (रुपये सात हजार पाँच सौ) है।

10. उप प्रधान के निर्वाचन हेतु सफेद रंग के मतपत्र उपलब्ध कराये गये हैं। सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिक निर्वाचन प्रतीक वाले मतपत्रों को निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या तक सावधानीपूर्वक काट कर प्रयोग में लाया जायेगा परन्तु किसी भी दशा में मतपत्र पर मुद्रित क्रमांक कटने न पायें तथा प्रयुक्त होने वाले निर्वाचन प्रतीक भी प्रभावित न होने पाये।

11. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु खण्ड विकास अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायत में मुनादी द्वारा देंगे, साथ ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत, विकास खण्ड और तहसील कार्यलय के सूचना पटों पर भी यह कार्यक्रम चस्पा करायेंगे।

दीपक रावत,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0),
नैनीताल।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत, हरिद्वार

सूचना

21 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 581/त्रि0पंचा0निर्वा0–2016/2016–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 822/रा0नि0आ0–2/2119/2016, देहरादून, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद, 243ट के अधीन उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 3473/XII(1)–2016–86(17)/2013, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 के क्रम में ग्राम पंचायत की अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर ग्राम पंचायतों के उप प्रधान पदों में निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है।

अतः, मैं, हरबंस सिंह चुघ, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वार, की 01 ग्राम पंचायत के उप प्रधान के पद पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निम्न समय–सारिणी के अनुसार निर्वाचन कराये जाने का आदेश देता हूँ।

इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
28.12.2016 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)	28.12.2016 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)	28.12.2016 (दोपहर 12:00 बजे से अपरांह्न 12:30 बजे तक)	28.12.2016 (अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 13:00 बजे तक)	28.12.2016 (अपराह्न 13:30 बजे से अपराह्न 15:30 बजे तक)	28.12.2016 (अपराह्न 16:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन–पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन–पत्रों की जाँच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित समस्त कार्य ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कराया जायेगा।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) के नियम 117(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के निर्वाचन के लिये दिनांक 28.12.2016 को बैठक आहूत की जाती है, जिसमें निर्वाचन अधिकारी अपने से सम्बन्धित ग्राम पंचायत की समस्त कार्यवाही करेंगे। उक्त बैठक ग्राम पंचायत के पंचायत भवन, ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय भवन अथवा अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर (धार्मिक स्थल को छोड़कर) ही आहूत की जायेगी, किसी व्यक्ति विशेष के निवास स्थान पर उक्त बैठक कदापि आहूत नहीं की जायेगी।

समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उक्त निर्वाचन का व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे और समस्त ग्राम पंचायतों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से इसकी जानकारी/सूचना देंगे।

हरबंस सिंह चुघ,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत), हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), पिथौरागढ़

जनपद पिथौरागढ़ की ग्राम पंचायतों के उप प्रधान के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन 2016

सूचना

21 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 109/उप निर्वाचन/सूचना/2016–17–राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 822/रा0नि0आ0 अनु0–2/2119/2016, दिनांक 20–12–2016 के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त उप प्रधान के पदों पर जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो, (संलग्न संलग्निका के अनुसार निर्वाचन/उप निर्वाचन कराया जाना है।

अतः, भारत का संविधान के अनुच्छेद, 243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रंजीत कुमार सिन्हा, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), पिथौरागढ़, एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि जनपद पिथौरागढ़ में उप प्रधान, ग्राम पंचायत, के इस अधिसूचना जारी होने की तिथि तक उक्त प्रकार से रिक्त पदों/स्थानों पर निर्वाचन/उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे:-

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
28.12.2016 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)	28.12.2016 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)	28.12.2016 (दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक)	28.12.2016 (अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 13:00 बजे तक)	28.12.2016 (अपराह्न 13:30 बजे से अपराह्न 15:30 बजे तक)	28.12.2016 (अपराह्न 16:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947) (यथासंशोधित) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश तथा उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 तथा तद्धीन प्रख्यापित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार इन निर्वाचनों में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। इन पदों/स्थानों के विषय में नामांकन-पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच करने, नाम वापसी, निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य, मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।

रंजीत कुमार सिन्हा,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0),
पिथौरागढ़।

कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत

सूचना

21 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 187/त्रि0पं0/उप निर्वाचन-2016 (उप प्रधान)-राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 822/रा0नि0आ0-2/2119/2016, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 के क्रम में, मैं, डा0 अहमद इकबाल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत, चम्पावत यह निर्देश देता हूँ कि जनपद में विभिन्न कारणों से उप प्रधान के रिक्त पदों पर, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित समय-सारिणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जायेंगे:-

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
28.12.2016 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)	28.12.2016 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)	28.12.2016 (दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक)	28.12.2016 (अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 13:00 बजे तक)	28.12.2016 (अपराह्न 13:30 बजे से अपराह्न 15:30 बजे तक)	28.12.2016 (अपराह्न 16:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन–पत्रों का प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन–पत्रों की जाँच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करायी जायेगी।

जनपद के विकास खण्ड पाटी के रिक्त उप प्रधान, ग्राम पंचायत के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्ति का कारण
1	2	3	4
1.	पाटी	विरोली	मृत्यु होने के कारण
2.		वारसी	मृत्यु होने के कारण

डा0 अहमद इकबाल,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत), चम्पावत

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर

अधिसूचना की सूचना

21 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 191/पं0 चुना0/निर्वाचन/2016–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 822/रा0नि0आ0अनु0–2/2119/2016, दिनांक 20–12–2016 के क्रम में, मैं, मंगेश घिल्डियाल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनपद बागेश्वर की ग्राम पंचायतों के निर्वाचित उप प्रधान, ग्राम पंचायतों की अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर (प्रारूप "क") पर संलग्न विवरणानुसार उप निर्वाचन कराये जाने हेतु निम्नवत् समय–सारणी सूचित करता हूँ:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
28.12.2016 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)	28.12.2016 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)	28.12.2016 (दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक)	28.12.2016 (अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 13:00 बजे तक)	28.12.2016 (अपराह्न 13:30 बजे से अपराह्न 15:30 बजे तक)	28.12.2016 (अपराह्न 16:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

खण्ड विकास अधिकारी, बागेश्वर, उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार करायेंगे तथा संबंधित ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से मुनादि द्वारा इसकी सूचना भिजवायेंगे। सर्वसाधारण की जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सूचना–पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित कराया जायेगा।

उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन–पत्रों का प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन–पत्रों की जाँच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह (प्रतीक) आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करायी जायेगी। उक्त उप निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 194(2) अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों, उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) के नियम 117(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के उप निर्वाचन के लिए इस अधिसूचना की सूचना में मतदान हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराया जायेगा। निर्वाचन सम्पन्न होने की सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की जायेगी।

प्रारूप–क

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पद/स्थान का नाम	रिक्ति का दिनांक	रिक्ति का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	बागेश्वर	खन्तोली	उप प्रधान, ग्राम पंचायत	20.10.2015	मृत्यु

मंगेश घिल्डियाल,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
बागेश्वर,

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 हिन्दी गजट/02–भाग 3–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।